

## कार्यालय नगर पंचायत रूरा, जनपद-कानपुर देहात

पत्राक 236 / एन0पी0आर0 / विकास कार्य / 2017-18

दिनांक

10 / 10 / 2017

### अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

नगर पंचायत रूरा में पंजीकृत ठेकेदारों एवं अपूर्तिकर्ताओं फर्मों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत रूरा में **14वें वित्त आयोग** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निकाय में निम्न विवरण के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिसके **डक्यूमेंट वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in)** पर दिनांक **12.10.2017 से 17.10.2017** तक उपलब्ध है, जो कि वेबसाइट से डाउनलोड व अपलोड किये जा सकते हैं तथा दिनांक 18.10.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे अपर जिलाअधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) कलेक्ट्रेट कार्यालय एल0बी0सी0 पटल कानपुर देहात में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदाताओं/कूटेशनदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष खोले जायेंगे। आगणन धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अधिषासी अधिकारी नगर पंचायत रूरा कानपुर देहात के नाम बन्धक कर जमा करना अनिवार्य होगा।

क्र0सं 0	कार्य का नाम एवं पता	आगणन धनराशि	2: अर्नेस्टमनी की धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य+ 18: बैंज	कार्य की अवधि
<b>14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत</b>					
1	नगर के विभिन्न वार्डों में मार्ग प्रकाष व्यवस्था हेतु 90 वॉट एल0ई0डी0 100 नग आपूर्ति/अधिष्ठापन कार्य।	14,66,035.00	29321.00	1770.00	21 दिवस
2	महिन्द्रा बोलेरो कैम्पर चार पहिया वाहन 01 नग	7,86,821.00	15736.00	944.00	21 दिवस
3	डस्टबिन 10 ली0 क्षमता फाइवर 2000 नग	7,40,000.00	14800.00	944.00	21दिवस
4	<b>लोहे के कूड़ादान के साइज 4X3X0X2.5 Feet With 16 Gauge Ms Sheet one Side Door Open type with Painting And Printing Complete 50 नग।</b>	4,61,529.00	9,231.00	590.00	21दिवस

**अन्य शर्तें:**—1- किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधिषासी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत रूरा के पास सुरक्षित होगा।

2- प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र मूल्य डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी एवं धरोहर धनराशि नगद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 अधिषासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, झींझक के पद नाम से बन्धक करनी होगी जो 05 पाँच वर्ष तक बन्धक रहेगी, जिसकी स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी होगी तथा नगद जमा की रसीद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की मूल प्रति निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 18.10.2017 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत रूरा में रखे टेण्डर बॉक्स में डाली जायेगी। नगद जमा की रसीद/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 की मूल प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में आपके द्वारा डाली गई निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

3- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ0प्र0 भवन एवं कर्मचार (नियोजन एवं सेवा) शर्तें विनियमन अधिनियम 2005 के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्याणार्थ श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य हेतु प्रमाण-पत्र को स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4- निविदाओं में फर्जी व छायाप्रति एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का पंजीयन निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

5- निविदा के ऊपर कटिंग/ओवर राइटिंग व सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

6- निविदा स्वीकार करने की वैधता निविदा प्राप्त करने की तिथि से तीन माह (90 दिन) होगी।

7- हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र आयकर, व्यापारकर प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ लगाना अनिवार्य होगा उक्त प्रमाण पत्र के समय एवं समयावधि के समाप्ति होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

8- स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जाये कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाली गई है। ऐसी निविदा मान्य नहीं होगी।

9- ठेकेदार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

10- किसी भी निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होगा।

11- ठेकेदार के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी।

12- भुगतान से पूर्व 8: जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

13- हैसियत प्रमाण पत्र पाँच लाख रुपये तक होना अनिवार्य है।

14- ठेकेदार निर्माण कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

15- अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

16- यह कि निविदादाताओं की कार्ययोजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके अगले 05 वर्षों तक का रख-रखाव करना अनिवार्य है जिससे जमानत धनराशि रख-रखाव अवधि समाप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

17- यह कि निविदा स्वीकृति की सूचना राज्य स्तर पर गठित तकनीकी समिति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त दी जायेगी। स्वीकृति उपरान्त से कार्य जारी किया जायेगा।

18- प्रत्येक काग़ के लिए अलग - अलग टेण्डर फार्म लेना आवश्यक है।

19- सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

20- निविदा की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय के किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

**लिपिक**  
नगर पंचायत रूरा  
कानपुर देहात

**अधिषासी अधिकारी**  
नगर पंचायत रूरा  
कानपुर देहात